चन्द्रप्रकाश बनाम श्योनारायण

अपील संख्या : 2023/40

06.02.2023	पत्रावली पेश हुई । उक्त अपील विद्वान् अभिभाषक श्री महेश योगी द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.01.2023 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश की गई । अपील पर अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गई । अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपने अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्ण रूप से नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों का उल्लंघन किया है । अपीलान्ट को नोटिस प्राप्त होने पर उपस्थिति दिये जाने के बाद भी एकपक्षीय बहस सुनकर जिस तरह से न्याय प्राप्त करने से अपीलान्ट को वंचित किया गया सुनवाई तक नहीं की गई । अपीलान्ट की बिना जानकारी के आदेशिका में रेस्पोडेन्ट कम 1 व 2 के निवेदन पर एकपक्षीय बहस सुनी जाकर आदेशिका आलेखित की गई और वास्ते आदेश तारीख पेशी दी गई जबकि दिनांक 07.12.2022 को अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जरिये अधिवक्ता अण्डरटेकिंग दे दी थी जिसको अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में लिखी गई आदेशिका में भी उसका अंकन नहीं किया गया है और दिनांक 05.01.2023 को जिस तरह से आदेश पारित कर आगामी आदेश तक रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे जाने बाबत् अपीलान्ट को पाबन्द फरमाया है वह पूर्णतया अनुचित एवं विधि के विरूद्ध है । उपस्थित होने के बाद दोनों पक्षों को सुना जाना आवश्यक था, अधीनस्थ न्यायालय ने न्याय की भावना से विपरीत जाकर आदेश पारित किया है जो पूर्णरूप से त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है । अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट ने आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के साथ वकालतनामा भी पेश कर दिया था । बाबजूद उसके अधीनस्थ न्याालय ने अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना स्थगन आदेश पारित किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय ने सीपीसी की पालना किये बिना स्थगन आदेश पारित किया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.01.2023 निरस्त फरमाया जावे एवं एक निश्चित समयावधि में दोनों पक्षों की बहस सुनी जाकर पुनः नये सिरे से आदेश पारित करने बाबत् आदेशित किया जावे और अपीलान्ट के कब्जे काश्त एवं उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करने बाबत् रेस्पोडेन्ट कम 1व 2 को न्यायालय के समक्ष सुनवाई होने तक पाबन्द करने के आदेश पारित किये जावें । अपनी बहस के समर्थन मे अधिवक्ता अपीलांट की ओर से न्यायिक दृष्टांत आर.आर.डी. –14.05.2014 पेज 345 प्रस्तुत किया। हमने अपील मीमो का अवलोकन किया एवं विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट की बहस पर मनन किया । अधिवक्ता अपीलांट की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय में वाद

प्रस्तुत होने के उपरान्त अपीलान्ट को नोटिस दिये गये । तत्पश्चात् रेस्पोडेन्ट कम 1 व 2 के निवेदन पर प्रस्तुत प्रकरण में एकपक्षीय बहस सुनी जाकर आदेशिका आलेखित की गई और वास्ते आदेश तारीख पेशी दी गई जबकि दिनांक 07.12.2022 को अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जरिये अधिवक्ता अण्डरटेकिंग दे दी थी जिसको अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में लिखी गई आदेशिका में भी उसका अंकन नहीं होने का कथन अधिवक्ता अपीलांट ने किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही दिनांक 05.01.2023 को आगामी आदेश तक रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे जाने बाबत् अपीलान्ट को पाबन्द किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय मे आगामी आदेश तक रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अप्रार्थीगण को पाबन्द किया गया है, यहां यह उल्लेखनीय है कि आदेशिका दिनांक 05.01.2023 जो अन्तरिम आदेश की श्रेणी मे होना प्रतीत होता है, वह आगामी पेशी दिनांक तक नहीं अपितु आगामी आदेश तक जारी किया गया है। साथ ही उक्त आदेश पारित किये जाने के पश्चात आगामी तारीख पेशी दिनांक 28.03.2023 नियत की है । हमारे विनम्र मत मे जब अप्रार्थी संख्या 1 से 7, 11 से 13, 15, 22, 31, 33, 34 के अधिवक्ता की ओर से अण्डरटेकिंग प्रस्तुत की गई थी तो दिनांक 05.01.2023 को उन्हे सुना जाना उचित होता। यहां मूल विवाद–बिन्दु अपीलांट को सुना जाकर आदेश पारित किये जाने का है। अतः हमारे मतानुसार अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 05.01.2023 मे तो प्रार्थना पत्र के वर्तमान स्तर पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है, परन्तु अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाना चाहिए। अतः एडमिशन स्तर पर ही प्रस्तुत अपील अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि वह विधि अनुसार अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए उभय पक्षकारान को सुनकर विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील मे इस स्तर पर हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह अपने प्रकरण संख्या 246/2022 प्रार्थना पत्र मे अप्रार्थी अपीलांट एवं प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए समयबद्ध रूप से यथाशीघ्र विधि सम्मत निर्णय पारित करे। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय मे सुनवाई हेतु दिनांक 03.03.2023 को उपस्थित। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब प्रेषित की जावे। अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर दाखिल दफ्तर हो व नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनांक 06.02.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा